भारत बनेगा दुनिया का दूसरा सोलर बाजार

2026 में भारत की सौर क्षमता 50,000 मेगावाट से अधिक रहने का अनुमान

मुंबई, 14 जनवरी. भारत का सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण बाजार 2026 में छह प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर बाजार बन जाएगा. वैश्विक जिंस बाजार अनुसंधान फर्म ब्लूमबर्ग एनईएफ की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण की वर्तमान गति से 2030 तक पांच लाख मेगावाट की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य लगता है लेकिन 2024 में नीलाम कई परियोजनाओं को अब भी बिजली के खरीदारों का इंतजार है जो लक्ष्य की राह में एक जोखिम है. इसमें सौर ऊर्जा मॉड्यूल की उत्पादन क्षमता घरेलू मांग से अधिक हो चुकी है. इसके साथ ही इनके निर्माण में कुछ कच्चे माल और हिस्से पुर्जों के लिए आयात निर्भरता बनी हुई है.

बीएनईएफ की ओर से मीडिया को उपलब्ध करायी गयी इस रिपोर्ट के सारांश में कहा गया है कि इस वर्ष चीन की धीमी गति पड़ेगी और इससे पहली बार वैश्विक सोलर निर्माण में कुल मिला कर कमी होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सौर निर्माण बाजार में तेज गिरावट दिख रही है और 2026 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर बाजार बनने के लिए तैयार है. अमेरिका में गिरावट के बीच सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन में नाम मात्र की वृद्धि जारी है.

> भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का नीलामी कार्यक्रम इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि को मजबूत आधार दे रहा है. रिपोर्ट में जोखिमों का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 60,000 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमताओं वाली परियोजनाएं नीलाम कीं. इनमें से 42,000 मेगावाट की परियोजनाएं बिजली खरीद के पक्के अनुबंधों की प्रतीक्षा में हैं .इनका भविष्य इन प्रस्तावित अनुबंधों पर टिका है. इसमें 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के समग्र लक्ष्य को पूरा करने में जोखिम भी छुपा है.

उतार-चढ़ाव में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर

नई दिल्ली, 14 जनवरी. विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को उतार-चढ़ाव देखा गया और प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 244.98 अंक (0.29 प्रतिशत) गिरकर 83,382.71 अंक पर आ गया. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 66.70 अंक यानी 0.26 प्रतिशत उतरकर 25,665.60 अंक पर रहा. यह दोनों सूचकांकों का 07 नवंबर 2025 के बाद का निचला स्तर है. इससे पहले शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव रहा. बीच कारोबार में सेंसेक्स ऊपर 83,809.98 अंक और नीचे 83,185.20 अंक तक गया. दिग्गज कंपनियों के विपरीत मझौली और छोटी कंपनियों में निवेशकों ने लिवाली की.

सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल

1.42 लाख रुपए पार पहुंचा सोना

14 हजार रुपए बढ़ी चांदी

नई दिल्ली , 14 जनवरी. देश के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना और चांदी दोनों ने निवेशकों को चौंका दिया. 14 जनवरी 2026 को इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा भावों के मुताबिक 24 कैरेट सोना पहली बार 1 लाख 42 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है. वहीं चांदी की कीमतों में भी ऐतिहासिक तेजी देखी गई है और यह एक ही दिन में 14 हजार रुपये से ज्यादा महंगी हो गई है.

इस उछाल ने उन निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है, जिन्होंने हाल के महीनों में कीमती धातुओं में पैसा लगाया था. वैश्विक बाजारों में अस्थिरता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि जब शेयर बाजारों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है, तब निवेशक सोना-चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे इनकी कीमतों में तेज उछाल देखने को मिलता है. भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों ने तेज छलांग लगाकर नया उत्साह पैदा कर दिया.

> इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 1,42,152 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो एक दिन पहले 1,40,284 रुपये था. यानी सिर्फ 24 घंटे में सोना 1,868 रुपये महंगा हो गया. इसी तरह 23 कैरेट सोना 1,41,583 रुपये, 22 कैरेट सोना 1,30,211 रुपये, 18 कैरेट सोना 1,06,614 रुपये और 14 कैरेट सोना 83,159 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. सभी कैटेगरी में एक से दो हजार रुपये तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो बाजार में तेज मांग का संकेत देती है.

पीएफआरडीए ने पेंशन फंड के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली,14 जनवरी. पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन निधियों के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये. इसमें कहा गया है कि पेंशन निधियों का पंजीकरण दो चरणों में होगा. पहले चरण में योग्य प्रायोजक इसके लिए आवेदन करेंगे जिसके आधार पर उनका चयन किया जायेगा.

दूसरे चरण में वे उनके द्वारा प्रस्तावित पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेंगे. प्रायोजक कंपनी के लिए अपनी कुल चुकता पूंजी का कम से कम 20 प्रतिशत उस पेंशन कोष में रखना अनिवार्य होगा जिसकी स्थापना वे करेंगे. संयुक्त उपक्रम भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. आवेदन शुल्क 10 लाख रुपये रखा गया है जिस पर कर तथा अन्य शुल्क अलग से देना होगा. आवेदन करने के लिए अर्हता के तहत फंड प्रबंधन में कम से कम पांच साल के अनुभव और पिछले पांच वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये के नेटवर्थ और आवेदन की तिथि पर 25 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी की अर्हता रखी गयी है. उसका रिजर्व बैंक, सेबी या भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थान होना अनिवार्य होगा. दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पिछले पांच वित्त वर्ष में से कम से कम तीन में प्रायोजक को कर बाद मुनाफा हुआ हो और इस दौरान कभी भी नकदी का नुकसान न हुआ हो.

आईसीसी करार से निवेश को नई रफ्तार

सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी से बनेगा कारोबारी सुपरहाइवे

महाराष्ट्र बना निवेशकों की पहली पसंद बनने को तैयार

मुंबई,14 जनवरी. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय व्यवसायों और महाराष्ट्र राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने और परस्पर जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जिसके तहत निवेश सुविधा, कारोबार की आसानी और उद्योग-सरकार के बीच संवाद पर फोकस किया गया जायेगा.

एमओयू पर महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (उद्योग, निवेश और सेवाएं) पी. अनबलगन और आईसीसी के महानिदेशक डॉ. राजीव सिंह ने हस्ताक्षर किये. इस दौरान व्यापार जगत की कई प्रमुख हस्तियां भी मौजूद थीं. डॉ. अनबलगन ने कहा कि आईसीसी के साथ यह साझेदारी महाराष्ट्र के उद्योग और निवेशकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने में मददगार होगी. साथ ही एक सुविधाजनक और निवेशकों के अनुकूल महौल तैयार करने की राज्य की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी.

भारतीय व्यापार समुदाय के बीच संस्थागत जुड़ाव मजबूत करना उद्देश्य

डॉ. सिंह ने कहा कि यह करार प्रगतिशील राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच एक पुल की तरह काम करने की आईसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. इस समझौते का उद्देश्य महाराष्ट्र को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और राज्य सरकार तथा भारतीय व्यापार समुदाय के बीच संस्थागत जुड़ाव को मजबूत करना है. एमओयू के प्रावधानों के अनुरूप आईसीसी महाराष्ट्र में वार्षिक व्यापार प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित करेगा, देश और विदेशों में अपने प्रमुख कार्यक्रमों में महाराष्ट्र से मंत्री और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करेगा, जो घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के राज्य के प्रयासों को प्रभावशाली तरीके से रखेंगे.

थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 0 .83 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली, 14 जनवरी. विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से दिसंबर 2025 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 0.83 प्रतिशत पर पहुंच गयी. सितंबर 2025 के बाद तीन महीने में पहली बार थोक महंगाई की दर शून्य से ऊपर रही है. इससे पहले नवंबर में यह शून्य से 0.32 प्रतिशत नीचे थी. वहीं दिसंबर 2024 में यह 2.57 प्रतिशत रही थी. खाद्य पदार्थों की थोक महंगाई दर गत दिसंबर में शून्य रही. यह नवंबर में शून्य से 2.6 प्रतिशत नीचे रही थी. दिसंबर में सालाना आधार पर आलू, प्याज और दालों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गयी. प्याज 54.4 प्रतिशत, आलू 38.21 प्रतिशत और दालें 13.88 प्रतिशत सस्ती हुई. सब्जियों के दाम भी 3.5 प्रतिशत घटे.

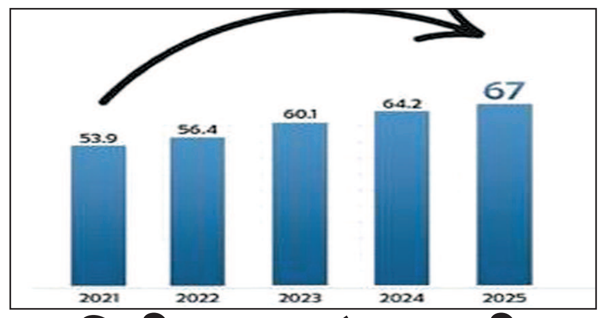

वित्तीय समावेशन की असली परीक्षा अब शुरू

सीईए नागेश्वरन का समावेशी वित्त पर बड़ा बयान

खाते नहीं, कारोबार बढ़े-तभी सफल है समावेशन

नई दिल्ली, 14 जनवरी. वित्त मंत्रालय के आर्थिक मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि उससे वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को कितना बल और प्रोत्साहन मिल रहा है.

डॉ नागेश्वरन ने इस संबंध में रेहड़ी- खोमचे वालों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का उल्लेख किया जिसने कोविड महामारी से प्रभावित दौर में लोगों को अपनी अपनी रोजी-रोटी के माध्यम को संभालने और मजबूत करने में मदद की. वह एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के सहयोग से यहां समावेशी वित्त पर आयोजित दो दिवसीय वैश्विक सम्मेलन- ग्लोबल इनक्लूसिव फाइनांस समिट 2026 के एक सत्र को संबोधित कर रहे थे.सम्मेलन के पहले दिन एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज की ओर से इंडिया इनक्लूसिव फाइनांस रिपोर्ट-2025 जारी की गयी.

डॉ नागेश्वरन ने आज इस सम्मेलन में इनक्लूसिव फाइनेंस इंडिया पुरस्कार वितरण सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में कहा, समावेशी वित्त सुविधा तभी सफल होती है जब यह आर्थिक गतिविधि को मज़बूत करती है न कि जब यह अपने आप में एक मकसद बन जाती है.

उन्होंने कहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत, महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए गलियों में रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों ने कारोबार के लिए मिली पूंजी का इस्तेमाल न सिर्फ़ ज़िंदा रहने के लिए किया, बल्कि अपने कारोबार को बढ़ाने, ज़रूरी चीज़ों में निवेश करने, मुनाफ़ा बढ़ाने और अपने कारोबार को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए भी किया. उन्होंने कहा, समावेश का यही मतलब होना चाहिए- लोगों को कमज़ोरी से बाहर निकलने और सिर्फ़ गुज़ारा करने वाले व्यापार से ज़्यादा उत्पादक कामों की ओर बढ़ने में सक्षम बनाना.

> इस सम्मेलन में विशेष रूप से इस बात पर चर्चाएं की गयी कि भारत की वित्तीय समावेशन यात्रा को अब आगे कर्ज सुविधाओं के विस्तार से लेकर क्षमता, विश्वास और संस्थागत शक्ति को बढ़ाने की दिशा में कैसे विकसित होना चाहिए. सम्मेलन में वित्तीय क्षेत्र के नीति निर्माताओं, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, वैश्विक विशेषज्ञों ने भाग लिया. इस अवसर पर जारी इंडिया इनक्लूसिव फाइनेंस रिपोर्ट 2025 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है.

नागराजू ने बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की समीक्षा की

नई दिल्ली, 14 जनवरी. वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के साथ उनके कार्य प्रदर्शन की समीक्षा की जिसमें इन कंपनियों की लाभप्रदता, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ग्राहक-केंद्रित सुधारों पर ज़ोर दिया गया.

वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार समीक्षा बैठक में श्री नागराजू ने ग्राहकों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए सार्वजनिक शिकायतों के समय पर समाधान और निर्बाध और त्वरित दावों के प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया. बैठक में कंपनियों के वर्ष 2024-25 और 2025-26 की पहले छमाही के वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा की गयी . बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी), न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल के प्रतिनिधि शामिल थे.

श्री नागराजू ने ज़ोर दिया कि सावर्जनिक बीमा कंपनियों को लाभदायक व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और बाज़ार हिस्सेदारी बनाए रखते हुए और अपने खुदरा पोर्टफोलियो को लगातार मज़बूत करते हुए नुकसान अनुपात को कम करने के लिए रणनीतियाँ बनानी चाहिए.

उन्होंने युवा पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने और उभरते जोखिमों के लिए कवरेज प्रदान करने के लिए नए और अभिनव अनुकूलित उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. प्रौद्योगिकी को अपनाने और पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने पर भी ज़ोर दिया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल चैनलों के माध्यम से खुदरा उत्पादों की 100 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग हासिल करना है.

वेदांता ने एक साल में दिया 56 प्रतिशत रिटर्न

नयी दिल्ली, 14 जनवरी. खनन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी वेदांता के शेयरों ने पिछले एक साल में 56 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न दिया है और उसका बाजार पूंजीकरण रिकॉर्ड 2.6 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. कंपनी ने बुधवार को एक नोट में बताया कि कमोडिटी की कीमतों में लगातार तेजी के कारण वेदांता के शेयर बुधवार को 38.60 रुपये यानी 6.06 प्रतिशत उछलकर 675.70 रुपये पर बंद हुए. इसके साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2,64,225 करोड़ रुपये पहुंच गया. इस साल अब तक कंपनी के शेयर में करीब 12 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी है. पिछले एक साल में (13 जनवरी 2025 से 14 जनवरी 2026 तक) एनएसई पर वेदांता के शेयर ने 56 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जो प्रमुख बाजार सूचकांकों से कहीं बेहतर है.

टीसीएस कर्मचारी की सैलरी गिरावट ने मचाया हड़कंप

मुंबई, 14 जनवरी. रेडिट पर वायरल हुई यह पोस्ट भारत के आईटी सेक्टर की उस सच्चाई को उजागर करती है, जिसे अक्सर चमकदार पैकेज और मल्टीनेशनल कंपनियों की ब्रांड वैल्यू के पीछे छुपा दिया जाता है.

खुद को डेवलपर बताने वाले इस टीसीएस कर्मचारी ने बताया कि उसने साल 2020 में 25 हजार रुपये महीने की सैलरी पर कंपनी जॉइन की थी, लेकिन 2026 में साढ़े पांच साल बाद उसकी इन-हैंड सैलरी घटकर 22,800 रुपये रह गई है. कर्मचारी ने अपनी पोस्ट में यह भी स्वीकार किया कि करियर की शुरुआत में उसने आईटी स्किल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया, जितना देना चाहिए था. वह एक टियर-3 कॉलेज से ग्रेजुएट था और टीसीएस जॉइन करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में ज्यादा समय लगाता रहा. इसका असर उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग पर पड़ा और उसे लगातार सी और डी जैसे लो परफॉर्मेंस बैंड्स मिलते रहे.

जुलाई 2025 में कंपनी ने उसे परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंन्ट प्लॉन पर डाल दिया. इस दौरान उसने मेहनत बढ़ाई और बिना मैनेजर को बताए खुद को दूसरे प्रोजेक्ट में असाइन कर लिया, जिससे उसकी नौकरी तो बच गई, लेकिन उसका सालाना अप्रेज़ल रोक दिया गया. यही वजह रही कि उसकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि कुछ कटौतियों के बाद इन-हैंड अमाउंट और कम हो गया.

जनवरी 2026 में उसने गंभीरता से जावा बैकेंड डेवलपर के तौर पर खुद को अपस्किल करना शुरू किया और कई इंटरव्यू भी क्लियर किए.

समाचार विशेष

2027 में किसे देगी टिकट समाजवादी पार्टी?

लखनऊ. उप्र में विस चुनाव में भले ही अभी एक साल से अधिक का वक्त बाकी है. लेकिन सियासी दलों और सियासतदानों ने अभी से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अंदरखाने से एक बड़ी ख़बर सामने आई है. जिसमें वह टिकट बंटवारे के लिए फार्मूला बदलने जा रही है. समाजवादी पार्टी टिकट देने से पहले संभावित उम्मीदवारों के सपोर्ट बेस का आकलन करेगी.

इसमें जातिगत समीकरणों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में किस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल है. इसी के हिसाब से उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा. राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया जाएगा. इस सर्वे के आधार पर ही गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय किया जाएगा. समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में मिले शानदार नतीजों को बनाए रखना चाहती है. इसलिए पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि मजबूत सपोर्ट बेस वाले नेताओं की पहचान करने के लिए विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से सर्वे किया जाएगा. इसके लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम इकट्ठा किए जा रहे हैं. सर्वे में उम्मीदवारों के अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव का आकलन किया जाएगा.

> **दूसरी पार्टियों के मजबूत दावेदारों पर भी विचार**
>
> 2027 से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चला है. जिसमें वह अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ दूसरी पार्टियों के मजबूत दावेदारों पर भी विचार कर रहे हैं. सपा का मानना है कि ब्राह्मण समुदाय में किसी भी तरह की नाराज़गी का उसे फायदा मिल सकता है. जिन विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण आबादी ज़्यादा है, वहां सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिनकी अपनी सीटों पर मजबूत पकड़ होगी.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	96903121	संपत्ति के बदले ऋण	27.12.2025	6,87,642.21/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. बलराम सिंह 2. धनकुंवर बाई

संपत्ति का पताः वार्ड संख्या 03, पीएच नं. 40, ग्रामः बाजना, ग्राम पंचायतः बाजना, तहसीलः अगर, जिलाः अगर मालवा, मध्य प्रदेश-465441 में स्थित निर्मित मकान संख्या 116 का पूरा टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 223.04 वर्ग मीटर है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सार्वजनिक सड़क, पश्चिमः प्रेम सिंह का मकान, उत्तरः सार्वजनिक सड़क, दक्षिणः खुली सरकारी भूमि।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	22533750	संपत्ति के बदले ऋण	30.12.2025	1,84,780.79/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. कृष्णपाल सिंह 2. शंकर कुँवर

संपत्ति का पताः संपत्ति कर रजिस्टर में क्रमांक 676 पर प्लॉट संख्या 54 के दक्षिणी भाग के रूप में पंजीकृत मकान का वह पूरा हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट (यानी 69.67 वर्ग मीटर) है, ग्राम कुम्हारी (जावरा), वार्ड संख्या 28, पत्रकार कॉलोनी, महू-नीमछ रोड, तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश-457118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉलोनी की सड़क, पश्चिमः प्लॉट संख्या 57, उत्तरः प्लॉट संख्या 54 का शेष भाग, दक्षिणः प्लॉट संख्या 53

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 15.01.2026
स्थान : मध्यप्रदेश

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

ई-नीलामी की सूचना

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रुप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभावित है, का भौतिक कब्जा प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है** के आधार पर निम्न ऋणियों से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिभूति लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा दिनांक **02.02.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि निम्नलिखित है।

ऋणी, जमानतदार एवं शाखा का नाम एवं मोबाईल नं.	बंधक संपत्तियों का विवरण	मांग पत्र की राशि एवं दिनांक	आरक्षित मूल्य (₹) धरोहर राशि (₹) बिड वृद्धि राशि (₹)
मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) जमानतदार: 1. श्री अतुल अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल 2. श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल शाखा: खण्डवा मोबाईल: 83700 12036	**1.** प्लाट नं. 19 (पट्टे पर दिया) जिसका टिन शेड क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट (लम्बाई 50×40) एवं जिसका शेड एवं गार्डन फर्शी 1040 वर्गफीट (लम्बाई चौड़ाई 52×20) कुल प्लाट का क्षेत्रफल 22000 वर्गफीट (2044.60 वर्गमीटर), संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रिसल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), **मालिक: मेसर्स नारायण दास उद्योग (प्रो. स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल) इनके कानूनी उत्तराधीकारी: 1.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक), चर्तु:सीमा: उत्तर:** 60 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** 20 फीट बेक लाईन, **पूर्व:** 60 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** प्लाट नं. 18	**2,57,03,756 + ब्याज एवं अन्य खर्च**	**59,95,000 / 6,00,000 / 50,000**
	2. संतोषी माता वार्ड नं. 32, इण्डस्ट्रियल एरिया, इन्दौर रोड, खण्डवा (म.प्र.), खसरा नं. 80/5, परिवर्तित शीट नं. 02, प्लाट नं. 55 पर स्थित संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 20021 वर्गफीट, **मालिक: 1. श्री अतुल अग्रवाल पिता एवं स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, इनके कानूनी उत्तराधीकारी: 1.1. श्रीमती राशी अग्रवाल पति स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.2. श्री वेनुगोपाल अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.3. सुश्री चाहत अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, 1.4. श्रीमती राशि अग्रवाल (सुश्री नंदिनी अग्रवाल पिता स्व. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल की संरक्षक), चर्तु:सीमा: उत्तर:** सरकारी भूमि एवं कच्चा रास्ता, **दक्षिण:** खसरा नं. 80/5 की शेष भूमि, **पूर्व:** खसरा नं. 80/1 एवं खसरान . 80/2 की भूमि, **पश्चिम:** खसरा नं. 80/4 की भूमि एवं सरकारी भूमि		**80,08,400 / 8,01,000 / 50,000**
	3. भैरव तालाब, वार्ड नं. 30 जिसको पदम नगर कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, खण्डवा, तहसील एवं जिला खण्डवा (म.प्र.) परिवर्तित शीट नं. 22, प्लाट नं. 21, पर स्थित रहवासी मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 1464 वर्गफीट, **मालिक: श्रीमती अर्चना अग्रवाल पति श्री अतुल अग्रवाल एवं श्री अतुल अग्रवाल पिता स्व. श्री कैलाश चंद अग्रवाल, चर्तु:सीमा: उत्तर:** किर्ती बाई का मकान, **दक्षिण:** चंद्रादेवी का मकान, **पूर्व:** कॉलोनी की सड़क, **पश्चिम:** गली		**37,16,000 / 3,72,000 / 50,000**

(ऑनलाईन) ई-नीलामी दिनांक: 02.02.2026 , समय: प्रात: 10 से सायं 6 बजे तक
दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम दिनांक 02.02.2026 एवं ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक व समय : 02.02.2026, सायं 5.30 बजे तक, ईएमडी को छोड़कर शेष बोली की राशि जमा करने के लिए बैंक खाते का विवरण: अकाउंट नं. : 3283786076, खाते का नाम: प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर, IFSC CODE: CBIN0280765

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी **www.centralbank.co.in** और सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com** देखें। **क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर 95222 73419** से संपर्क कर सकते है।

सिक्यूरीटाईजेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत विक्रय हेतु 15 दिवसीय वैधानिक सूचना

नियम व शर्तें: 1. सफल बोलीकर्ता को 15% राशि का भुगतान 24 घंटे के भीतर करना होगा।
2. संपत्ति (लीज होल्ड) क्रं. 1 से संबंधित सभी चार्ज/बकाया सफल बोली लगाने वालों/खरीददारों को व्यव करना होगा।

दिनांक: 15.01.2026, स्थान: इन्दौर — **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**